

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-126/राजस्व/राहत/2012 रायपुर, दिनांक /09/2013
प्रति,

कलेक्टर,
जिला-गरियाबंद (छ0ग0)

विषय:-राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ बचाव हेतु उपकरण
क्रय बाबत, आबंटन वर्ष 2013-14 ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 383/बाढ़ राहत/2012 दिनांक 01.08.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। जिले में आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ बचाव सामग्री क्रय करने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद मांगसंख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245-द्वैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-के अर्न्तगत रूपये 28.32 लाख (रूपये अठ्ठाईस लाख बत्तीस हजार मात्र) का आबंटन एवं क्रय की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क.	सामग्री का नाम	तादात	कुल राशि
1	2	3	4
1	इन्फ्लेटेबल मोटर बोट 25 एच.पी.ओ.बी.एम. 8-10 सी.	01	800000
2	लाईफ बॉ य	25	106250
3	लाईफ जैकेट	25	82000
4	एल्यूमीनियम फाईबर ग्लास मोटर बोट	1	1000000
5	वाटर प्रुफ रेनकोट	10	55000
6	सर्च लाईट	3	23700
7	दूरबीन (बाइना कुलर)	2	17800
8	जरीकेन	3	1350
9	चप्पू (पतवार)	10	30000
10	ड्रम	8	14800
11	लारुड हेलर	3	11550
12	तारपोलीन	4	88800
13	मनीला रोप	10	2500
14	ट्रक ट्यूब	5	12000
15	सॉ कटिंग मशीन	1	350000
16	Telescopic Ladder	1	33936
17	Concrele Cutter	1	115000
18	Ladder	1	67000



(Handwritten signature and date)
7/9/13

//2//

19	Helmet	10	7500
20	Shoes	10	10000
21	Goggles	10	2500
योग			2831686

या (रूपये अठ्ठाईस लाख बत्तीस हजार मात्र)

2/ उक्त आबंटन मांगसंख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245 दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-02 बाढ़ और चक्रवात आदि-112 जनसंख्या का निष्क्रम-5607 बाढ़ बचाव-25 सामग्री और पूर्तियों-006 अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3/ उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघुशीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अन्तर्गत किया जावे।

4/ उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावे।

5/ उपरोक्त मोटर बोट क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 389/सी.एन.2013-07-00054/बजट-5/वित्त/चार/2013 दिनांक 04.09.2013 द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6/ उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 7/09/2013

क्रमांक एफ 1-126/राजस्व/राहत/2012/929
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर।
 3. संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़।
 4. संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर।
 5. जिला कोषालय अधिकारी गरियाबंद छत्तीसगढ़।
 6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 7. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर।
 8. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।


उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-126/राजस्व/राहत/2012 रायपुर, दिनांक /09/2013
प्रति,

कलेक्टर,
जिला-कोण्डागाँव (छ0ग0)

विषय:-राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से आपदा प्रबंधन हेतु उपकरण क्रय
बाबत। आबंटन वर्ष 2013-14

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 1736/स.अ./रा./बाढ़ आपदा/2013 दिनांक 29.07.13
एवं पत्र दिनांक 03.07.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 24.01.2013 के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन बचाव हेतु आपको 01 नग 14 Ton Lifting Capacity Hydraulic Mobile Pick Crane क्रय करने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद मांगसंख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-के अन्तर्गत रूपये 34.80 लाख (रूपये चौतीस लाख अस्सी हजार मात्र) का आबंटन एवं क्रय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उक्त आबंटन मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245 दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-02 बाढ़ और चक्रवात आदि-112 जनसंख्या का निष्क्रम-5607 बाढ़ बचाव-25 सामग्री और पूर्तियों-006 अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3/ उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघुशीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अन्तर्गत किया जावे।

4/ उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावे।

5/ उपरोक्त मोटर बोट क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 389/सी.एन.2013-07-00054/बजट-5/वित्त/चार/2013 दिनांक 04.09.2013 द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6/ उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग